राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

पत्र संख्या–प०नि० 30–20/2015 2524

प्रेषक,

विशेष कार्य पदाधिकारी,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
मुजफ्फरपुर।

पटना, दिनांक– 7.6.24

विषय :– प्रखंड बन्दरा के प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के संबंध में।
प्रसंगः– आयोग का पत्रांक 2058 दिनांक 06.05.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त के संबंध कहना है कि प्रासंगिक पत्र द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 157 के तहत् वैधानिक परीक्षण के उपरान्त नियमानुसार आदेश पारित करते हुये प्रस्ताव भेजने का निदेश दिया गया था, परन्तु उक्त प्रावधान के सूक्ष्म विश्लेषण पर आयोग के संज्ञान में यह तथ्य आया कि **धारा–157 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग जिला दण्डाधिकारी द्वारा मत विभाजन/अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया के सम्पन्न हो जाने के उपरांत नहीं किया जा सकता।**

उक्त वर्णित स्थिति में आयोग द्वारा निर्णय लिया गया है कि प्रासंगिक पत्रांक 2058 दिनांक 06.05.2024 से प्रदत्त निदेश को वापस लिया जाए, तद्नुसार निदेश को वापस लिया जाता है।

विदित हो कि बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 44 (3)(iv) में प्रावधान है कि प्रमुख के विरूद्ध अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक की सूचना में कारण/आरोप का उल्लेख किया जाना है, जबकि **प्रखंड बन्दरा के प्रमुख** के विरूद्ध लाया गया अविश्वास प्रस्ताव संबंधी बैठक की सूचना में कारण/आरोप का उल्लेख नहीं किया गया है, जो नियमानुकूल नहीं है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में प्रासंगिक पत्र के आलोक में प्रखंड बन्दरा के प्रमुख के रिक्त पद पर वैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन के कारण तिथि निर्धारित नहीं की जा सकती है परंतु आयोग विशेष बैठक की प्रक्रिया के संबंध में तटस्थता एंव अहस्तक्षेप का अभिमत रखता है।

अनुरोध है कि उक्त आलोक में अग्रेतर कारवाई हेतु पंचायती राज विभाग से मार्गदर्शन प्राप्त की जाय।

विश्वासभाजन,
07/6/24
विशेष कार्य पदाधिकारी।

6.6.24

Sone Bhawan, 3rd Floor, Birchand Patel Marg, Patna – 800 001, Phone 2506826, 2506917, 2506844, 2506994 Fax: 0612-2507847, E-mail: secbihar@gmail.com